

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(1)वित्त/कर/2018

जयपुर, दिनांक: 05 MAR 2026

आज्ञा

इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 7(1)वित्त/कर/2018 दिनांक 27.02.2024 द्वारा राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के निम्न अधिकारी का अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं पद	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्रीमती अनीता माथुर, उपायुक्त	01.01.1965	31.12.2024

- उक्त अधिकारी के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध :-
1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—sd—
(नथमल डिडेल)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्रीमती अनिता माथुर (सेवानिवृत्त), उपायुक्त (विधि) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा:- आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(W ts)
विशिष्ट शासन सचिव